न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2012 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.06.2012

गणेशलाल पिता गिरधारीलाल जाति बलाई आयु 65 वर्ष निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकार

बनाम

1–चम्पालाल पिता किशनलाल जाति सालवी आयु वयस्क, निवासी कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2–ग्राम पंचायत कश्मोर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कश्मोर पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 3/2009 आदेश दिनांक 21.05.2009 द्वारा ग्राम पंचायत कश्मोर

उपस्थिति : 1– श्री भैरूलाल गुर्जर अधिवक्ता, निगराकार
2– श्री रमेश शर्मा, अधिवक्ता, गैर निगराकार संख्या 1

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि ग्राम पंचायत कश्मोर द्वारा निगराकार के पक्ष मे खुली निलामी में एक पट्टा दिनांक 25.05.1967 को पैतांलिस रूपये में जारी किया गया तब से ही निगराकार विवादित भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी किये गये आबादी भूमि के पट्टे शुदा भूखण्ड पर पुनः पट्टा जारी कर दिया है जो कानूनन अवैध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत कश्मोर से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत कश्मोर से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस किये जाने हेतु निवेदन किया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ से कब्जे एवं वास्तविक वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा खुली निलामी में एक पट्टा प्रार्थी निगराकार को दिनांक 25.05.1967 को 45/-रू. में जारी किया गया। निगराकार द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 30 दिनांक 25.11.66 तथा पंचायत की आज्ञा संख्या 3 दिनांक 06.01.1967 की पालना में 45/-रू. जमा करवाने के पश्चात् ग्राम पंचायत कश्मोर द्वारा 40 बाई 60 फीट का भूखण्ड का कब्जा सिपुर्द किया तभी से ही निगराकार विवादित भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी ग्राम पंचायत ने बिना विधिवत् जांच करवाए पूर्व में जारी किए गए आबादी भूमि के पट्टे शुदा भूखण्ड पर पुनः पट्टा जारी कर दिया है जो कि अवैधाानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा संख्या 3 दिनांक 21.05.2009 निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत कश्मोर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया है वह पूर्ण रूप से विधि सम्मत् होकर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर जारी किया है। निगराकार ने अपनी निगरानी मे मनगढन्त तथ्य अंकित किये हैं। विवादित भूखण्ड पर विपक्षी संख्या 1 का पुश्तैनी कब्जा होकर मकान निर्मित होने से नियमानुसार 200/-रू. पट्टा शुल्क, मौका निरीक्षण फीस 25/-रू., नक्शा फीस 25/-रू., 10/-रू. कोर्ट फीस तथा 1440/-रू. विकास शुल्क जरिये रसीद क्रमांक 65 दिनांक 25.11.2008 से जमा कर पट्टा जारी किया है जो नियमानुसार जारी किया गया है अतः निगरानी खारीज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन कर, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टे से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का गहनता से अवलोकन किया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/पंसचि/विधि/2017-18/375 दिनांक 25.10.2017 से पट्टे के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की है कि वर्ष 2009 में नियम 157(1) के तहत आवासीय भूमि का पुश्तैनी पट्टा श्री चम्पालाल/किशना सालवी को ग्राम पंचायत द्वारा 21.05.2009 को जारी किया गया जिसमें प्रार्थी के नाम संकल्प संख्या 1 की अनुपालना के द्वारा दिनांक 20.12.2009 दर्शायी गई है जो अनूचित है एवं उक्त पट्टे में सीमांकन की आराजी संख्या का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चम्पालाल पिता किशना सालवी के नाम जारी पट्टे का कुल क्षेत्रफल 5355 वर्गफीट में से वर्तमान में कुल 12x20 कुल 240 वर्गफीट पर ही निर्माण है बाकी पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूर्व में जारी आवासीय भूमि पट्टा नियम 157 (1) के तहत बनाया गया है जो अनुचित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितीकरण में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है जहां व्यक्तियों के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे में आबादी भूमि में **पुराने गृह हों** और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों, वहां निम्नानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा -(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु-100/-रू. (ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु-200/-रू., विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मात्र 240 वर्गफीट भूमि पर निर्माण किया हुआ है जबकि ग्राम पंचायत कश्मोर द्वारा विपक्षी संख्या 1 को 63x85 कुल 5355 वर्गफीट भूमि का नियम 157 (1) के तहत पट्टा जारी किया हुआ है।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। मौका/स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 06.08.2007 को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई रिपोर्ट भी उक्त सूचना पत्र पर नहीं की गई है तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में उपलब्ध है एवं विक्रय-विलेख दिनांक 21.05.2009 में ना तो केता के हस्ताक्षर हैं और ना ही उक्त भूखण्ड की आबादी भूमि की आराजी संख्या व उसके रकबे का अंकन किया गया है। उक्त विक्रय-विलेख को पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की नियंत्रण पंजिका में भी दर्ज नहीं करवाया गया है तथा न ही उस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ से सत्यापन के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त पट्टा प्रथम दृश्टया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रचलित नियमों व प्रावधानों के विपरीत एवं अधिकारिता से परे जाकर विपक्षी संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से जारी करना प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कश्मोर द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा कमांक 3 दिनांक 21.05.2009 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत कश्मोर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत सभी पक्षकारान को सुना जाकर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)